

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना

## आदेश

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के आदेशानुसार यह सुनिश्चित किया गया है, कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की 75% उपस्थिति हेतु शपथ-पत्र

मैं ..... पिता / माता / अभिभावक.  
..... कक्षा ..... खण्ड ..... में  
अध्ययनरत इसके द्वारा वचन देता / देती हूँ।

1. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापित सं० -206 / 2023 के आलोक में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है।

2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्राओं के विद्यालय के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी कक्षा में 75% की उपस्थिति आवश्यक है।

3. सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, जिनकी कक्षा IX, X, XI एवं XII के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से उस महीने की पहली तारीख तक जिसमें स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, उस अवधि में कम से कम 75% उपस्थिति हो।

4. मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरी पुत्री की उपस्थिति उपर निर्दिष्ट मानक से कम है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और सरकार के द्वारा कोई लाभ भी नहीं दी जायेगी, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।

शपथ पत्र पर दिनांक :-

.....

अभिभावक का हस्ताक्षर एवं पता :.....

.....

छात्रा का नाम :.....

मो० नं० :.....

पता :.....

छात्र का हस्ताक्षर :.....